मांग संख्या 39

मुख्य शीर्ष 2235

मद कमांक 1

राज्य के नवीन अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत ` 1100.00 लाख का व्यय संभावित हैं ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद कमांक 2 से 12

नवगठित 9 जिलों एवं बीजापुर तथा नारायणपुर में उपभोक्ता फोरम प्रारंभ करने हेतु 81 पदों के सृजन के लिए वेतन भत्तों हेतु ` 56.48 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 56,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 13

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री आपूर्ति, एवं अन्य व्यय मद में ` 130.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 14

दुर्ग महासमुंद एवं राजनांदगांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों में कोर पीडीएस की व्यवस्था लागू करने के लिए स्मार्टकार्ड प्रदाय हेतु ` 52.25 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 15

छत्तीसगढ़ अमृत नमक वितरण योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों को प्रतिमाह 05 किलो निःशुल्क आयोडाइज्ड नमक प्रदाय हेतु ` 0.55200 लाख का व्यय संभावित हैं ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 55,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 16

50 नवीन अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों की स्थापना हेतु ` 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित हैं ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 17

अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत ` 371.06 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित हैं ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,71,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 18

रायपुर शहर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बीपीएल उपभोक्ताओं को गेहूँ के स्थान पर प्रतिमाह 10 किलो आटा प्रदाय हेतु ` 42.57 लाख का व्यय संभावित हैं ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 42,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4408

मद कमांक 19

जिला जगदलपुर, जशपुर, कांकेर, धमतरी, महासमुंद, बीजापुर, मुंगेली, नारायणपुर, सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कवर्धा, बेमेतरा में दुकान-सह-गोदाम निर्माण हेतु ` 3500.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।